मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / विद्या/बी/942 भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2008

प्रति,

1. समस्त विकास खण्ड अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग.
2. समस्त सहायक आयुक्त,
 आदिम जाति कल्याण विभाग.
3. समस्त जिला अधिकारी,
 आदिम जाति कल्याण विभाग.

विषयः— मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों में लोकभाषा में प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों एवं पहेलियों का संकलन।

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक व लोक संस्कृति की दृष्टि से विविधताओं से पूरिपूर्ण है। हमारी बोलियों में मुहावरे, लोकोक्तियाँ व पहेलियाँ प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं। इनका संकलन किया जाना है ताकि हमारी भाषाई व सांस्कृतिक विविधता का शिक्षण, प्रशिक्षण आदि में भी समुचित समावेश किया जा सके। कृपया संलग्न परिपत्र अनुसार कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें व चरणवार प्रगति रिपोर्ट देवें।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक / विद्या/बी/943 भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2008

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास, म0प्र0 भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल।

निरंतर...2....

5. श्री के.के. पाण्डे, संयुक्त संचालक, आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय, भोपाल।
6. समस्त संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।

} <u>कृपया आप अपने स्तर से आवश्यक फालोअप करें।</u>

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

<u>मुहावरा एवं लोकोक्ति संकलन प्रायोजना</u>

विषय :– मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों में लोकभाषा में प्रचलित मुहावरों,
लोकोक्तियों एवं पहेलियों का संकलन

––––

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से काफी समृद्ध प्रदेश है। इसकी सांस्कृतिक व भौगोलिक विविधता यहाँ बोली जाने वाली बोलियों में भी दिखाई देती है। शिक्षा के उद्देश्य से भी पहेलियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ काफी उपयोगी हैं तथा इनका पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरण होता रहता है।

2/ मुहावरों, पहेलियों आदि में जन–साधारण के अनुभव से जुड़ी व स्थानीय परिवेश की बातें, जीव–जंतु के रहन–सहन आदि प्रचुर मात्रा में झलकते हैं। इनका प्रयोग जहाँ भाषा को सटीक एवं सौंदर्य प्रदान करता है वहीं कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति भी देता है।

3/ बदलते हुए सामाजिक व आर्थिक परिवेश में भाषाई विरासत को सहेजने की दृष्टि से मुहावरे, लोकोक्तियों एवं पहेलियों आदि का संकलन विशिष्ट स्थान रखता है। इस दृष्टि से प्रदेश के सभी अंचलों में उपयोग में लाये जाने वाले मुहावरों, लोकोक्तियों, पहेलियों का संकलन किया जाना है। इस बाबत कृपया आप निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

1. <u>छात्रों, शिक्षकों के मध्य सत्र प्रारंभ होने पर व्यापक प्रचार–प्रसार</u> –

1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस परिपत्र को सभी शालाओं तक पहुँचा दिया जावे व प्रत्येक प्राचार्य/प्रिंसिपल कक्षा में छात्रों के ध्यान में इस बात को लावें। छात्रों की इस कम में सक्रिय भागीदारी ली जावे व छात्रों को अपने–अपने ग्राम, बस्ती, मोहल्ले में वहाँ के सामाजिक परिवेश के प्रकाश में मुहावरों/लोकोक्तियों/पहेलियों का उपयोग किया जाता है प्रत्येक छात्र से एक सादे कागज पर अलग–अलग श्रेणीवार लिखकर लाने को कहा जाए। <u>मुहावरे, लोकोक्तियाँ व पहेलियाँ तीनों अलग–अलग कागज पर हाथ से लिखकर प्रत्येक छात्र सादे कागज पर प्रस्तुत करें।</u> (समय सीमा– 15 जुलाई)।

निरंतर....2..

2. **प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, प्रिंसिपल व शिक्षकों का शाला स्तर पर विचार–विमर्श** –

प्रत्येक शाला स्तर पर विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, प्राचार्य आदि उपरोक्त बाबत विचार–विमर्श कर अपने–अपने स्तर से भी अलग–अलग मुहावरों, लोकोक्तियों तथा पहेलियों का प्रत्येक व्यक्ति संकलन कर शाला को प्रस्तुत करें। **(समय सीमा– 31 जुलाई)**।

3. **शाला स्तर पर श्रेणीवार संकलन, वर्गीकरण तथा शुद्धिकरण** –

प्रत्येक शाला स्तर पर छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा जो जानकारी दी जाती है उस जानकारी में केवल उन्हीं मुहावरों, लोकोक्तियों व पहेलियों को लिया जाना है जो रोजमर्रा की सामान्य बोली में उपयोग में आते हैं और **विशिष्ट रूप में क्षेत्र की लोक भाषा के प्रतीक हों**।

ऐसे मुहावरे, लोकोक्ति व पहेली, जो सामान्य हिन्दी पुस्तकों में प्रचुर मात्रा में उल्लेखित रहते हैं, को स्कूल स्तर पर लिये जाने वाले संकलन में नहीं लिया जाना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।

शाला स्तर पर छात्रों, शिक्षकों व अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों आदि से जो जानकारी प्राप्त होती है उसे आपसी परामर्श से शुद्धिकृत रूप दिया जावे। स्थानीय स्तर पर नागरिकों से परामर्श कर लोक भाषा में प्रचलित पहेलियों, मुहावरों आदि की जानकारी ली जावे। **(समय सीमा– 20 अगस्त)** ।

4. **टंकण व शुद्धिकरण** –

जैसा उपरोक्त टीप में अंकित है हिन्दी की पुस्तकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मुहावरों, लोकोक्तियों व पहेलियों को संकलित नहीं किया जाना है। ऐसे मुहावरे, पहेलियाँ आदि को अलग छटनी कर दिया जाए तथा शेष को अलग–अलग श्रेणीवार स्वच्छ रूप में टंकित किया जावे। टंकण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जावेः–

(क) वर्णमाला के क्रम में लिया जाएगा।

निरंतर...3..

(ख) मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ तीनों को अलग–अलग अध्याय के रूप में लिया जाना है।

(ग) प्रत्येक के आगे हिन्दी भाषा में उसका भावार्थ उल्लेखित किया जाना है।

(घ) प्रत्येक मुहावरे, लोकोक्ति, पहेली का भावार्थ क्या है इसे आपस में विचार कर शुद्ध रूप में बना लिया जावे।

(च) प्रत्येक मुहावरों, लोकोक्तियों, पहेलियों का दोहराव न हो। सूची बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जावे।

(समय सीमा – 31 अगस्त)।

5. विकास खण्ड स्तर पर संकलन –

प्रत्येक विकास खण्ड में विभिन्न संस्थाओं से जो जानकारी प्राप्त होती है उसे एकजाई रूप में मुहावरे, लोकोक्ति व पहेली के रूप में अलग–अलग तीन अध्यायों में एकत्र किया जाकर संकलित किया जाएगा। इस कार्य को करते समय इस बात को ध्यान में रखा जावे कि मुहावरे, पहेलियाँ आदि का दोहराव न हो तथा सूची बनाते समय वर्णमाला अनुसार शब्दों को सूचीबद्ध किया जावे। (समय सीमा–15 सितंबर) ।

6. जिला स्तर पर संकलन –

प्रत्येक जिलों के विकास खण्डों में उक्त अनुसार संकलन की कार्यवाही करने हेतु एक अधिकारी/संसाधन सम्पन्न प्राचार्य/उत्कृष्ट विद्यालय को नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है। वे ही विकास खण्ड स्तर पर इस कार्य का समन्वय करेंगे। (समय सीमा–30 सितंबर) ।

7. जिला शिक्षा अधिकारियों का दायित्व –

जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खण्डों की जानकारी की सी.डी. बुलवायेंगे और उसे एकजाई करते हुए यह देख लेंगे कि उपरोक्तानुसार जो चेकलिस्ट के बिन्दु उल्लेखित हैं उस अनुसार ही संकलन की कार्यवाही की जावे। (समय सीमा–15 अक्टूबर) ।

निरंतर...4..

8. समय सीमाएँ –

1. 15 जुलाई – छात्रों, शिक्षकों के मध्य सत्र प्रारंभ होने पर व्यापक प्रचार–प्रसार
2. 31 जुलाई – प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, प्रिंसिपल व शिक्षकों का शाला स्तर पर विचार–विमर्श
3. 20 अगस्त – शाला स्तर पर श्रेणीवार संकलन, वर्गीकरण तथा शुद्धिकरण
4. 31 अगस्त – टंकण व शुद्धिकरण
5. 15 सितंबर – विकास खण्ड स्तर पर संकलन
6. 30 सितंबर – जिला स्तर पर संकलन
7. 15 अक्टूबर – जिला शिक्षा अधिकारियों का दायित्व

उपरोक्तनुसार संकलित जानकारी आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री के.के. पाण्डे को भेजा जाए व समय–सीमा के प्रत्येक चरण को ध्यान में रखा जावे।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट–1

विवरण भेजने का प्रारूप
(कृपया सूची वर्णानुक्रम से बनावें)

क्रमांक	मुहावरा	भावार्थ
1.	अ	
2.	आ	
3.	ई	

टीप : इस प्रकार की सूची मुहावरा, लोकोक्ति व पलेलियों हेतु पृथक–पृथक शीट पर बनेगी।